तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रेमराज मीणा निवासी जहाजपुर जिला शाहपुरा (राज०) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा प्रकरण संख्या :– 10 / 2024 जीसीएमएस नं. :– 2024 / 43 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

13.3.24

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29.09.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर) भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

10. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर) भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / सामान्य / आरटीआई / 2024 / 28205 दिनांक 06.03.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 28186 दिनांक 29.01.2024 से अपीलार्थी / प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना / जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह रेस्पोडेण्ट के जवाब से संतुष्ट है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत नियत समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी (सामान्य अनुभाग) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को सख्त हिदायत दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न की जावें और आपकों प्राप्त आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करें।

5. निर्णय आज दिनांक 13-03-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा